

2018/00120

प्रपत्र-6

**"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"**  
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

से.वा.

18/18  
10.5.18

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सरखनी गाँव की जमाबन्दी

संवत् 2012-75 खाता संख्या 26 में -

विद्यालक्ष के नाम आवंटित भूमि के नाम राजीव गाँधी  
पाठशाला (मि.बाणीयों की दागी इत है) विद्यालक्ष  
कमिन्त ले जाने से रा. उ. ज. वि. मि.बाणीयों  
की दागी के नाम से किया जावे।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

  
प्रार्थी

दिनांक :

67

(गोपनीय)  
अध्यक्ष राजीव गाँव  
के नवाबपारा 1635.0

प्रकरण सं. 18/18 दि 10/5/18

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

Sir.

निम्नलिखित है कि रा. उ. प्र. 18 निम्नलिखितों की दायी वतमान  
ने राजीव गांधी पाठशाला से कुम्हार लोक उद्यम  
प्राथमिक स्तर का ले जाने से ग्राम सरायली नगर के  
दि. 14/3/02 रा. उ. प्र. 18 निम्नलिखितों की दायी  
के नाम दर्ज किया जाता उचित है

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

सायद

10/5/18

10/5/18

पटवारी व भू. अ. नि. रिपोर्ट की जांच रिपोर्ट  
एक कुम्हार की गोगाराम के माफेज कुम्हार  
राजीव गांधी पाठशाला निम्नलिखितों की दायी के नाम  
"राज्य उच्च प्राथमिक निम्नलिखितों की दायी" उद्यम  
करने की मंजूरी आदेश जारी है

तहसीलदार सेइवा, उपखण्ड भूमि, पटवारी इल्का नवा नला 2615 से प्राप्त  
जांच रिपोर्ट एक प्राथमिक कुम्हार गोगाराम द्वारा प्राप्त प्राथमिक  
के साथ दस्तावेजों के आधार पर राजीव गांधी पाठशाला  
निम्नलिखितों का कुम्हार नाम "राज्य उच्च प्राथमिक  
विद्यालय निम्नलिखितों की दायी" उद्यम करने का कोदेश  
दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल  
परामर्श करने का तहसीलदार सेइवा को कोदेश दिया जाता  
है पत्रावली फलानुसार होकर उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

